जमा प्रमाणपत्र (सीडी) जारी करने के लिए दिशानिर्देश पर मास्टर परिपत्र
30 जून 2006 तक संशोधित

परिचय
पात्रता
संकलित राशि
निर्गम और मूल्यवर्ग का न्यूनतम आकार
कौन अभिदान कर सकता है
परिपक्वता
बट्टा
आरक्षित निधि अपेक्षाएं
अंतरणीयता
ऋण / बाय-बैक
सीडी का प्रारूप
प्रमाणपत्र का भुगतान
जारी अनुलिपि प्रमाणपत्रों का निर्गम
मानकीकृत बाज़ार प्रथाएं और दस्तावेज़ीकरण
रिपोर्टिंग
अनुबंध I
अनुबंध II
परिशिष्ट

परिचय

जमा प्रमाणपत्र (सीडी) एक परक्राम्य मुद्रा बाजार लिखत है और एक निर्दिष्ट समय अवधि के लिए बैंक या अन्य पात्र वित्तीय संस्थान में जमा की गई धनराशि के लिए अभौतिक रूप में या मीयादी वचनपत्र के रूप में जारी किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर संशोधित विभिन्न निर्देशों द्वारा सीडी जारी करने के लिए दिशानिर्देश वर्तमान में शासित हैं। अब तक जारी किए गए सभी संशोधनों को शामिल करते हुए सीडी जारी करने के लिए दिशा-निर्देश सुलभ संदर्भ के लिए नीचे दिए गए हैं।

पात्रता

2. सीडी (i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों (एलएबी) को छोड़कर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और (ii) चयनित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, जिन्हें निर्धारित छत्र सीमा के भीतर अल्पकालिक संसाधन जुटाने के लिए आरबीआई द्वारा अनुमति दी गई है, द्वारा जारी किए जा सकते हैं।

संकलित राशि

3. बैंकों को अपनी आवश्यकताओं के आधार पर सीडी जारी करने की स्वतंत्रता है।

4. वित्तीय संस्था भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तय की गई समग्र छत्र सीमा के भीतर सीडी जारी कर सकती है, अर्थात् अन्य लिखतों जैसे सावधि धन, सावधि जमा, वाणिज्यिक पत्र और अंतर-कॉर्पोरेट जमा सहित सीडी जारी करना, नवीनतम लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार अपनी निवल स्वाधिकृत निधि के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

निर्गम और मूल्यवर्ग का न्यूनतम आकार

5. सीडी की न्यूनतम राशि 1 लाख रुपये होनी चाहिए, अर्थात् एक ग्राहक से स्वीकार की जा सकने वाली न्यूनतम जमा राशि 1 लाख रुपये से कम नहीं होनी चाहिए और उसके बाद 1 लाख रुपये के गुणकों में होनी चाहिए।

कौन अभिदान कर सकता है

6. सीडी व्यक्तियों, निगमों, कंपनियों, न्यासों, निधियों, संघों आदि को जारी किए जा सकते हैं। अनिवासी भारतीय (एनआरआई) भी सीडी में अभिदान कर सकते हैं, लेकिन केवल गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार पर जिसे प्रमाण पत्र पर स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। ऐसे सीडी द्वितीयक बाजार में किसी अन्य अनिवासी भारतीय को पृष्ठांकित नहीं किए जा सकते हैं।

परिपक्वता

7. बैंकों द्वारा जारी सीडी की परिपक्वता अवधि 7 दिनों से कम और एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

8. वित्तीय संस्थाएँ ऐसी अवधि के लिए सीडी जारी कर सकती हैं जो 1 वर्ष की अवधि से कम नहीं है और जारी होने की तिथि से 3 वर्ष से अधिक नहीं है।

बट्टा /कूपन दर

9. सीडी अंकित मूल्य के मितीकाटे पर जारी किए जा सकते हैं। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को अस्थिर दर आधार पर सीडी जारी करने की भी अनुमति है, बशर्ते अस्थिर दर को समेकित करने की पद्धति वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी और बाज़ार आधारित हो। जारीकर्ता बैंक/वित्तीय संस्थान भुनाई/कूपन दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। अस्थिर दर सीडी पर ब्याज दर को एक पूर्व-निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार समय-समय पर पुनर्निर्धारित करना होगा जो एक पारदर्शी आधार दर पर स्प्रेड को इंगित करता हो।

आरक्षित निधि अपेक्षाएं

10. बैंकों को सीडी के निर्गम मूल्य पर उचित आरक्षित निधि अपेक्षाओं, अर्थात् नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) का पालन करना होगा।

अंतरणीयता

11. भौतिक सीडी पृष्ठांकन और सुपुर्दगी द्वारा मुक्त रूप से हस्तांतरणीय हैं। अभौतिक सीडी को अन्य अभौतिक प्रतिभूतियों पर लागू प्रक्रिया के अनुसार अंतरित किया जा सकता है। सीडी के लिए कोई लॉक-इन अवधि नहीं है।

ऋण / बाय-बैक

12. बैंक/वित्तीय संस्था सीडी के प्रति ऋण नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा, वे परिपक्वता से पहले अपनी स्वयं के सीडी वापस नहीं खरीद सकते हैं।

सीडी का प्रारूप

13. बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा सीडी केवल अभौतिक रूप में ही जारी किए जाने चाहिए। तथापि, निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के अनुसार, निवेशकों के पास भौतिक रूप में प्रमाण पत्र प्राप्त करने का विकल्प है। तदनुसार, यदि निवेशक भौतिक प्रमाण पत्र की मांग करता है, तो बैंक/वित्तीय संस्थान ऐसे मामलों के संबंध में वित्तीय बाजार विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, फोर्ट, मुंबई - 400 001 को अलग से सूचित करेंगे। इसके अलावा, सीडी जारी करने पर स्टांप शुल्क लगेगा। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपयोग किए जाने के लिए एक प्रारूप (अनुबंध I) संलग्न है। सीडी के पुनर्भुगतान के लिए कोई अनुग्रह अवधि नहीं होगी। यदि परिपक्वता तिथि को छुट्टी है, तो जारीकर्ता बैंक को ठीक पूर्ववर्ती कार्य दिवस पर भुगतान करना होगा। अत : बैंक/वित्तीय संस्थान जमा की अवधि इस प्रकार निर्धारित करें कि परिपक्वता तिथि और छुट्टी का दिन एक साथ न आए ताकि बट्टा /ब्याज दर के नुकसान से बचा जा सके।

सुरक्षा पहलू

14. चूंकि भौतिक सीडी पृष्ठांकन और सुपुर्दगी द्वारा मुक्त रूप से हस्तांतरणीय हैं, इसलिए बैंकों द्वारा इस पर ध्यान देना आवश्यक होगा कि प्रमाणपत्र अच्छी गुणवत्ता वाले प्रतिभूति कागज पर छपे हैं और दस्तावेज़ के साथ छेड़छाड़ से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरती जाती है। उन पर दो या अधिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

प्रमाणपत्र का भुगतान

15. चूंकि सीडी हस्तांतरणीय हैं, भौतिक प्रमाण पत्र को भुगतान के लिए अंतिम धारक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। पृष्ठांकन की श्रृंखला में किसी दोष के कारण दायित्व का प्रश्न उठ सकता है। इसलिए, यह

वांछनीय है कि बैंक आवश्यक सावधानी बरतें और रेखित चेक द्वारा ही भुगतान करें। इन सीडी से संबन्धित कार्य करने वालों को भी उचित रूप से सावधान किया जाए।

16. अभौतिक सीडी के धारक अपने संबंधित निक्षेपागार भागीदार (डीपी) से संपर्क करेंगे और विशिष्ट आईएसआईएन द्वारा निर्दिष्ट अभौतिक प्रतिभूति को जारीकर्ता द्वारा बनाए गए 'सीडी प्रतिदान खाते' में अंतरित करने के लिए अंतरण /सुपुर्दगी निर्देश देंगे। धारक को अपने डीपी को दिए गए सुपुर्दगी निर्देश की प्रति संलग्न करते हुए एक पत्र/फैक्स द्वारा जारीकर्ता को भी सूचित करना होगा और शीघ्र भुगतान की सुविधा के लिए उस स्थान की सूचना देनी होगी जहां भुगतान का अनुरोध किया गया है। "'सीडी प्रतिदान खाते" में सीडी की अभौतिक जमा प्राप्त होने पर, जारीकर्ता, परिपक्वता तिथि पर, बैंकर्स चेक /उच्च मूल्य चेक, आदि के माध्यम से धारक/अंतरणकर्ता को चुकौती की व्यवस्था करेगा।

अनुलिपि प्रमाणपत्र जारी करना

17. भौतिक प्रमाणपत्रों के खो जाने की स्थिति में, निम्नलिखित के अनुपालन के बाद अनुलिपि प्रमाणपत्र जारी किए जा सकते हैं:

(ए) कम से कम एक स्थानीय समाचार पत्र में सूचना देना आवश्यक है

(बी) समाचार पत्र में सूचना की तारीख से एक उचित अवधि (जैसे 15 दिन) बीत जाने के बाद ; और

(सी) सीडी जारीकर्ता की संतुष्टि के लिए निवेशक द्वारा क्षतिपूर्ति बांड का निष्पादन।

18. अनुलिपि प्रमाण पत्र केवल भौतिक रूप में जारी किया जाना चाहिए। किसी नए मुद्रांकन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि खोई हुई मूल सीडी के लिए अनुलिपि प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। अनुलिपि सीडी में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख होना चाहिए कि सीडी एक अनुलिपि सीडी है, जिसमें मूल मूल्य तिथि, देय तिथि और **जारी करने की तिथि (जैसा कि "अनुलिपि _____ को जारी किया गया")** का उल्लेख हो।

लेखांकन

19. बैंक/वित्तीय संस्थान निर्गम मूल्य को "जारी सीडी" शीर्ष के अंतर्गत दर्ज करेंगे और इसे जमाराशियों के अंतर्गत दिखाएंगे। बट्टे के लिए लेखांकन प्रविष्टियां "नकद प्रमाण पत्र" के मामले में जिस प्रकार की जाती है वैसे ही की जाएंगी। बैंक/वित्तीय संस्थाएं पूरे ब्यौरे के साथ जारी सीडी का एक रजिस्टर रखेंगी।

मानकीकृत बाज़ार प्रथाएं और दस्तावेज़ीकरण

20. फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) आरबीआई के साथ परामर्श से, सीडी बाजार के परिचालनगत लचीलेपन और सुचारू कामकाज के लिए, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप किसी भी मानकीकृत प्रक्रिया और प्रलेखीकरण का निर्धारण करेगा, जिसका अनुपालन सहभागियों द्वारा किया जाएगा। बैंक/वित्तीय संस्थाएं इस संबंध में एफआईएमएमडीए द्वारा 20 जून 2002 को जारी विस्तृत दिशानिर्देशों का संदर्भ लें।

रिपोर्टिंग

21. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के अंतर्गत बैंकों द्वारा पाक्षिक विवरणी में सीडी की राशि शामिल करनी होगी और विवरणी में फुटनोट के माध्यम से इस प्रकार शामिल राशि को अलग से इंगित करना होगा।

22. इसके साथ ही, अनुबंध II में दिए गए प्रारूप के अनुसार, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय बाजार विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, फोर्ट, मुंबई - 400 001, फैक्स ++9122-22700850 को पखवाड़े के अंत की तारीख से 10 दिवसों के भीतर एक पाक्षिक विवरणी प्रस्तुत करनी होगी।

अनुबंध I

बैंक/संस्था का नाम

क्रमांक रु ----------

दिनांक --------

परक्राम्य जमा प्रमाणपत्र

प्राप्त जमा राशि के लिए केवल उक्त स्थान पर इस लिखत की प्रस्तुति और समर्पण पर, -------- को<जमाकर्ता का नाम> या आदेश पर रुपये ----------<शब्दों में>---------- ---------- <स्थान का नाम>-------स्थित------- <बैंक/संस्था का नाम>---- ----------,में इसकी तारीख से-------- महीनों/दिनों के बाद भुगतान करने का वचन देता हूं।

कृते

------<संस्था का नाम>----

परिपक्वता की तारीख ---------- अनुग्रह दिवसों के बिना।

अनुदेश	परांकन	तारीख
1	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	

अनुबंध II

पाक्षिक विवरणी

जमा प्रमाणपत्र (सीडी)

(एसएफआर III – घ)

बैंक/ संस्था का नाम :

समाप्त पखवाड़े के लिए :

जमा प्रमाणपत्र (सीडी)का निर्गम

पखवाड़े के अंत तक बकाया सीडी की कुल राशि

1. बट्टा मूल्य आधार पर (रुपये करोड़ में)

   अंकित मूल्य :

   बट्टा मूल्य :

2. कूपन आधार पर (रुपए करोड़ में)

   अंकित मूल्य :

पखवाड़े के दौरान जारी सीडी का विवरण

I. **बट्टा मूल्य के आधार पर जारी सीडी**

क्र सं	जारी की गई सीडी का बट्टा मूल्य (राशि रुपये में)	परिपक्वता अवधि (दिनों में)	प्रभावी ब्याज दर (प्रतिशत प्रति वर्ष)	अभौतिक या भौतिक सीडी जारी (डी/पी)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

II. **अस्थिर दर आधार पर जारी की गई सीडी**

क्र सं	जारी की गई सीडी का अंकित मूल्य (राशि रुपये में)	परिपक्वता अवधि (दिनों में)	आधार(बेंचमार्क)	स्प्रेड	डीमैट या भौतिक सीडी जारी (डी/पी)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

परिशिष्ट

परिपत्रों की सूची

क्र सं	संदर्भ सं	तारीख	विषय
1.	डीबीओडी. सं. बीपी.बीसी.134/65-89	6, जून 1989	जमा प्रमाणपत्र (सीडी)
2.	डीबीओडी. सं. बीपी.बीसी.112/65-90	23 मई, 1990	जमा प्रमाणपत्र (सीडी)
3.	डीबीओडी. सं. बीपी.बीसी.60/65-90	20 दिसंबर, 1990	जमा प्रमाणपत्र (सीडी)
4.	डीबीओडी. सं. बीपी.बीसी.113/65-91	15 अप्रैल, 1991	जमा प्रमाणपत्र (सीडी)
5.	डीबीओडी. सं. बीपी.बीसी.83/65-92	12 फरवरी 1992	जमा प्रमाणपत्र (सीडी)
6.	डीबीओडी. सं. बीसी.119/12.021.001/92	21 अप्रैल, 1992	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42(1) - वृद्धिशील जमा प्रमाणपत्र पर नकद आरक्षित निधि अनुपात - छूट
7.	डीबीओडी.सं. बीसी.106/21.03.053/93	7, अप्रैल 1993	जमा प्रमाण पत्र (सीडी) - सीमा में वृद्धि
8.	डीबीओडी. बीसी. 171./21.03.053/93	11 अक्टूबर, 1993	जमा प्रमाणपत्र (सीडी) योजना
9.	डीबीओडी सं बीपी. बीसी.109./21.03.053/96	9 अगस्त, 1996	जमा प्रमाणपत्र (सीडी) योजना
10.	डीबीओडी. सं बीपी. बीसी. 49/21.03.053/97	22 अप्रैल, 1997	जमा प्रमाणपत्र (सीडी)
11	डीबीओडी. सं बीपी. बीसी. 128/21.03.053/97	21 अक्टूबर, 1997	जमा प्रमाणपत्र (सीडी)
12.	डीबीओडी.सं.डीआईआर. बीसी. 96/13.03.00/2001-02	अप्रैल 29, 2002	अभौतिक रूप में जमा प्रमाणपत्र (सीडी) जारी करना
13.	डीबीओडी. सं बीपी. बीसी.115/21.03.053/2001-02	15 जून 2002	जमा प्रमाणपत्र (सीडी)
14.	डीबीओडी. सं बीपी. बीसी. 43/21.03.053/2002-03	16 नवंबर, 2002	मौद्रिक और ऋण नीति 2002-03 की मध्यावधि समीक्षा: जमा प्रमाणपत्र
15	एमपीडी. सं. 254/07.01.279/2004-05	12 जुलाई 2004	जमा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए दिशानिर्देश
16	एमपीडी. सं. 263/07.01.279/2004-05	28, अप्रैल 2005	जमा प्रमाणपत्र